

रिपोर्ट पटवारी हलका/आइओएल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ~~अवे~~ ~~निवेदन~~ है कि राजस्व शुद्ध आवेदन
 गुदागौडजी खत 2075-78 (खता 0 224 के धारक का नाम ~~खीजांराम~~ ~~दु~~
 खीजांराम के अन्तर्गत पटवारी के निरजु राम दर्ज है नर : 000000
 नाम खीजांराम के अन्तर्गत निरजु राम का धारक है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

दिनांक :- 27-11-20

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

27/11/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

1755
29/11/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 27-11-2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं।)
1.	खणोली		224/21 224	खीजांराम दु नाथुराम	निरजु राम दु नाथुराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि खत भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/1726-27
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/11/20

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वास्तव पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी